उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3
संख्याः 274 /XVIII(3)/2017-02(46)2017
देहरादूनः दिनांकः 23, मई, 2017

# अधिसूचना

चूंकि समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना के लिए जनपद टिहरी में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि एक सौ एकड़ के बराबर या उससे अधिक अर्थात् 144.077 एकड़ (58.321 है0) है;

अतः अब राज्यपाल, समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) की धारा 45(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करने और उसका पुनर्विलोकन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात सामाजिक सम्परीक्षा करने के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन समिति का निम्न प्रकार गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1– | जिलाधिकारी | – | अध्यक्ष। |
| 2– | मुख्य विकास अधिकारी | – | सदस्य। |
| 3– | सम्बन्धित उप जिलाधिकारी | – | सदस्य। |
| 4– | सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी | – | सदस्य। |
| 5– | सम्बन्धित नायब तहसीलदार | – | सदस्य। |

हरबंस सिंह चुघ
प्रभारी सचिव।

संख्या–274 /XVIII(3)/2017 तददिनांकित।

**प्रतिलिपि** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव,परिवहन विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
4. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि0, ऋषिकेश।
9. जिलाधिकारी, टिहरी।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को मुद्रित कराकर 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इन्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 274 dated for general information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
RAJASWA ANUBHAG
No.274 / XVIII(III)/2017-02(46)/2017
DEHRADUN: DATED: 23, May, 2017

## NOTIFICATION

Whereas the appropriate Government is satisfied that the land purposed to be acquired is equal to or more than one hundred acre i.e. 144.077 acre (58.321 Hac.) in Tehri for Rishikesh-Karnprayag New Broad Gauge Rail Line Project;

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 45 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No.30 of 2013), the Governor is pleased to constitute following rehabilitation and resettlement committee for the social audit after the implementation of advice of Gram Sabha in rural areas and Nagar Palika in the urban areas and monitoring and his review of the progress of implementation of the rehabilitation and resettlement scheme -

| | | |
|---|---|---|
| 1- District Magistrate | - | Chairman; |
| 2- Chief Development Officer | - | Member; |
| 3- Concerning SDM | - | Member; |
| 4- Concerning Block Development Officer | - | Member; |
| 5- Concerning Naib Tahsildar | - | Member; |

By order,

**(Harbans Singh Chugh)**
Secretary In-charge